नियमावली

1. **संस्था का नाम**—एलुमिनाई एसोसिऐशन चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (AACCSUM)
2. **संस्था का पूरा पता**—चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
3. **संस्था का कार्य क्षेत्र**—चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का परिक्षेत्र।

संस्था का उद्देश्य—

1. पुरातन छात्र एवं छात्राऐं चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (पूर्व मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ) एवं चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में अध्ययनरत् छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
2. चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में अध्ययनरत् छात्रों के कैरियर विकास हेतु एलुमिनाई द्वारा प्रयास करना।
3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान एवं विकास हेतु प्रयास करना तथा विश्वविद्यालय परिसर एवं विभिन्न उद्योगों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
4. शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करके छात्रों एवं विश्वविद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करना।
5. विषय विशेषज्ञों, सभ्रान्त व्यक्तियों के अनुभवों एवं सहयोग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर को विश्वपटल पर प्रस्तुत करना।

संस्था के संरक्षक

1. संरक्षक—कुलपति एवं प्रति कुलपति एलुमिनाई एसोसिएशन (Alumni Association) चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर मेरठ के संरक्षक होगे।

संस्था की सदस्यता—

1. समस्त व्यक्ति जो चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (पूर्व मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ) से उपाधि प्राप्त हो एवं संस्था के उद्देश्यो के प्रति पूर्व निष्ठा रखता हो, सदस्य बन सकेगा।
2. संस्था का सदस्य बनने के लिए, विश्वविद्यालय परिसर से पास आउट होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर एलुमिनाई एसोसिएशन की संस्तुति पर छात्र

कल्याण अधिष्ठाता चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा सदस्यता प्रदान की जायेगी।

सदस्यता की समाप्ति

1. सदस्य की मृत्यु होने पर।
2. सदस्य द्वारा दिये गये त्याग पत्र की स्वीकृति होने पर।
3. सदस्य के पागल घोषित होने पर।
4. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

संस्था के अंग

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

साधारण सभा

- **गठन**–संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा कहलायेगी।
- **बैठक**–साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
- **सूचना**–सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी, सूचना ई–मेल समाचार पत्र, विश्वविद्यालय की वैबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
- **कोरम**–साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराने वाले सदस्यों का 2/3 होगा। कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी नही होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता है।

विशेष वार्षिक अधिवेशन

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा, जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित कर चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सूचित कर अनुमति ली जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. संस्था के प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था की नीति निर्धारण करना।

प्रबन्धकारिणी समिति

- **गठन**–संस्था की प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा करेगी। **जिसमे–अध्यक्ष–01, उपाध्यक्ष–01, सचिव–01, उपसचिव–01, कोषाध्यक्ष–01 कार्यकारिणी सदस्य 05** चुने जायेगें।
- **बैठक**–सामान्य बैठक वर्ष में दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष/सचिव के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।
- **सूचना**–सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जायेगी। सूचना डाक, ई–मेल, वैबसाइट, फोन द्वारा दी जायेगी।
- **कोरम**–प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गई बैठक की पाबन्दी नहीं होगी यदि उन्हीं विषयो पर विचार होता है।
- **रिक्त पद की पूर्ति**–प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।
- **कार्यकाल**–प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

अध्यक्ष

- चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ से कम से कम पांच वर्ष पूर्व उपाधि प्राप्त कर ली हो, अध्यक्ष निर्वाचन हेतु अर्ह होगा।
- साधारण सभा एवं प्रबन्ध कारिणी समिति की अध्यक्षता करेगे।
- बैठक की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।
- समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

- एलुमिनाई एसोसिएशन एवं चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की गरिमा के अनुरूप कार्य करना।

उपाध्यक्ष

- चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ से कम से कम पांच वर्ष पूर्व उपाधि प्राप्त कर ली हो, उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु अर्ह होगा।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य करेगें।

सचिव

- चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ से कम से कम तीन वर्ष पूर्व उपाधि प्राप्तकर्ता होगें।
- संस्था की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों, विभाग से समस्याओं के निदान हेतु पत्र व्यवहार व पैरवी करना।
- संस्था के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के संचालन के लिए संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- संस्था के हित में कार्य करना।

उपसचिव–

- चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ से कम से कम तीन वर्ष पूर्व उपाधि प्राप्तकर्ता होगें।
- सचिव की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य उपसचिव को निहित होगे।
- अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सौपे गये कार्य करना।

कोषाध्यक्ष

- चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ से कम से कम तीन वर्ष पूर्व उपाधि प्राप्तकर्ता होगें।
- संस्था के आय–व्यय की रिर्पोटः बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
- अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सौपे गये कार्य करना।

कार्यकारिणी सदस्य

- एलुमिनाई एसोसिएशन द्वारा बनायी जाने वाली उपसमिति के प्रभारी होगें।
- अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सौपे गये कार्य करना।

प्रबन्ध कारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. संस्था के नियमो–विनियमो में संशोधन करना।
2. संस्था द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों आदि के संचालन के लिए उपसमिति का गठन करना।
3. संस्था के उद्देश्यों को मूल रूप देना।
4. वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
5. वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन कराना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।

नियमो–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमो–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्ध समिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई–बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

संस्था का कोष

संस्था के कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित होगे। संस्था चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की नीतियो के सापेक्ष कार्य करेगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन से कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव द्वारा की जायेगी, जो कि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

अभिलेख–सदस्य रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेन्डा आदि जो भी आवश्यक हो रखे जायेगे।

कार्यकारिणी

संरक्षक

1. प्रो० एन० के० तनेजा–कुलपति चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2. प्रो० एच० एस० सिंह–प्रति कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

क्र. सं.	नाम	पद	सम्पर्क सूत्र मो0नं0/ई–मेल	
1	डॉ० रविकांत सरल	सदस्य	9412631349	
2	डॉ० कुलदीप सिंह तोमर	सदस्य	9837097724	
3	सन्तोष कुमार	सदस्य	9319958759	
4	डॉ० संजय कुमार	सदस्य	9997688020	
5	डॉ० रेखा यादव	सदस्य		
6	डॉ० दुष्यन्त कुमार तोमर	सदस्य		

7	सुन्दर नागर	सदस्य	9837912651	
8	डॉ० हितेन्द्र कुमार	सदस्य		
9	डॉ० महेश शर्मा	सदस्य		
10	यतीन कक्कड	सदस्य		